न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या– 08/2022 (72/11)

उनवान:–

1. प्रकाशी उर्फ सूरजपाल सिंह उम्र करीब 65 वर्ष पुत्र श्री छोटेलाल जाति वघेला निवासी मौहल्ला गडरपुरा तहसील व जिला धौलपुर।

----- वादी

बनाम

1. महेन्द्र पाल सिंह । पुत्रगण श्री कुन्दनसिंह जाति वघेला निवासी
2. राजेन्द्र पाल सिंह । मौहल्ला गडरपुरा तहसील व जिला धौलपुर
3. सरोज कुमारी पुत्री श्री कुन्दनसिंह पत्नी श्री रामफूल सिंह जाति वघेला निवासी मोहल्ला गडरपुरा तहसील व जिला धोलपुर हाल निवासी खाल खल्लुआ तहसील व जिला आगरा उ0प्र0
4. राजस्थान सरकार तामील जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय धौलपुर

----- प्रतिवादी

दावा बंटवारा काश्त अन्तर्गत धारा 53 आरटीए

उपस्थिति – 1. श्री योगेश शर्मा ऐडवोकेट वादी की ओर से
2. श्री नत्थीलाल शर्मा ऐडवोकेट प्रति0 सं0 1 की ओर से

दिनांक 05.08.2024

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1 रकवा 1 वीघा 3 विश्वा, 9 रकवा 1 वीघा 11 विश्वा कुल किता 2 कुल रकवा 2 वीघा 14 विश्वा ग्राम समौला तहसील व जिला धौलपुर के वादी वकदर हिस्सा 3/4 भाग, प्रतिवादी सं0 1 हिस्सा 1/10 भाग, प्रतिवादी सं0 2 हिस्सा 1/10 भाग, प्रतिवादी सं0 3 हिस्सा 1/20 भाग के अभिलिखित खातेदार काश्तकार हं एवं वादी और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 आराजी को सम्मिलित रूप से काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 फसल के बंटवारे के समय वादी से झगडा करते हैं इस कारण सामलाती काश्त करना असम्भव हो गया है। अर्सा करीब 1 माह हुआ वादी ने प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 से विवादित आराजी का बंटवारा करने को कहा तो प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 विवादित आराजी का बंटवारा करने से इनकारी हो गये और धमकी दी कि तुझे विवादित आराजी बेदखल कर देंगे। उपरोक्त परिस्थितियों में

वादी न्यायालय से विवादित आराजी का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करा पाने का अधिकारी है। वादी के द्वारा दावा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का बाई मीट्स

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

एण्ड बाउण्ड बंटवारा कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपने खातेदारी हकूक प्रतिवादी नं0 1 के हक में दिनांक 29.9.06 को जिसमें राजेन्द्रपाल सिंह ने अपने समस्त हिस्से को तथा सरोज कुमारी अपने निस्फ हिस्से को वय कर चुकी है। रोज वय से अपने समस्त अधिकार महेन्द्र पाल सिंह को दे चुके हैं। विवादित आराजी पर महेन्द्रपाल सिंह 14 विश्वा पर अलग से काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रतिवादी सं0 1 ने अपना दाखिलाखारिज नहीं खुलवा पाया है। वादी ने सुरेन्द्र पाल सिंह व वीरेन्द्र पाल सिह व सरोज कुमारी द्वारा वादी के हक में किये गये अपने हिस्से के वयनामा अनुसार दाखिल खारिज करा लिया है। विवादग्रस्त आराजी पैतृक आराजीयात है। वादी व प्रतिवादी के मध्य दिनांक 10.10.11 को मेढ डाल कर विवादग्रस्तत खेत को आधा–आधा कर लिया तथा उसी अनुसार वादी व प्रतिवादी न0 1 अपने–अपने खेत पर काबिज हो गये। अब पुनः बंटवारे का प्रश्न ही नहीं उठता है। विकल्प में प्रतिवादी यह प्लीड करता है कि यदि वादी की नीयत में बेईमानी आती है और वह इस बंटवारे को नहीं मानता है तो वादी अपने उक्त खेत को प्रतिवादी नं0 1 से बदल सकता है। वजानिव पश्चिम दिशा में सडक की तरफ से पूरी लम्बाई में स्थित विवादित खेत से दो हिस्से बराबर बराबर लम्बाई में कायम कर पुनः मेंढबन्दी या हदबन्दी कराई जाकर जो भी हिस्सा वादी को पसन्द हो ले सकता है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 प्रकरण में अनावश्यक पक्षकार हैं। अतः दावा मिस जोइण्डर आफ पार्टीज का नुक्स है। अतः इसी आधार पर दावा वादी काबिल खारिजी है। प्रतिवादी वादी से विशेष हर्जा खर्चा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी के द्वारा दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवदी सं0 2 व 3 के बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उभयपक्ष के लिखित अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार विवेचना करते हुए दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 19.12.2014 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1 रकवा 1 वीघा 3 विश्वा, 9 रकवा 1 वीघा 11 विश्वा कुल किता 2 कुल रकवा 2 वीघा 14 विश्वा ग्राम समौला तहसील व जिला धौलपुर में वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने के आदेश दिये गए। तहसीलदार धौलपुर को उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने बावत लिखा गया।

तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक राजस्व/2024/160 दिनांक 04.03.2024 से प्रकरण में विवादित आराजी के विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। तहसीलदार धौलपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व दिनांक 23.02.2024 को पक्षकारों को नोटिस जारी किया जाना अंकित किया गया है। तहसीलदार धौलपुर ने ख.नं. 1 रकवा 0.2908 एंव ख.नं. 9/1 रकवा 0.2213 है0 वादी प्रकाशी उर्फ सूरजपाल सिंह पुत्र छोटेलाल जाति बघेला सा. मौहल्ला गडरपुरा धौलपुर खातेदार तथा ख.नं. 9/2 रकवा 0.1707 है0 प्रतिवादीगण महेन्द्रपाल सिंह पुत्र कुन्दन सिंह हि. 683/1707, राजेन्द्रपाल सिंह पुत्र कुन्दन सिंह हि. 683/1707, सरोज कुमारी पुत्री कुन्दन सिंह हि. 341/1707 जातिगण बघेला सा0 मौहल्ला गडरपुरा धौलपुर खातेदार प्रस्तावित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

विभाजन प्रस्ताव पर बहस विद्वान अभिभाषक वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किए जाने का कथन किया।

वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनने, विभाजन प्रस्ताव एंव पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरान्त हम दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार धौलपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव में प्रस्ताव अनुसार ख.नं. 1 रकवा 0.2908 एंव ख.नं. 9/1 रकवा 0.2213 है0 वाके ग्राम समौला तहसील धौलपुर का वादी प्रकाशी उर्फ सूरजपाल सिंह पुत्र छोटेलाल जाति बघेला सा. मौहल्ला गडरपुरा धौलपुर को खातेदार तथा ख.नं. 9/2 रकवा 0.1707 है0 वाके ग्राम समौला तहसील धौलपुर का प्रतिवादीगण महेन्द्रपाल सिंह पुत्र कुन्दन सिंह हि. 683/1707, राजेन्द्रपाल सिंह पुत्र कुन्दन सिंह हि. 683/1707, सरोज कुमारी पुत्री कुन्दन सिंह हि. 341/1707, जातिगण बघेला सा0 मौहल्ला गडरपुरा धौलपुर को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एंव लगान पृथक–पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे के कब्जा काश्त में व्यवधान पैदा नही करें। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैशल शुमार होकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)